न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 69 / 2021 (2021 / 00258)

उगमा पुत्र हरलाल उर्फ हरबक्ष जाति कीर निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम व धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 15.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम व धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम जूनियां ग्राम पंचायत जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर की अतिंम चौसाला जमाबन्दी संवत 2073–76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
1489–1252	1139	0.11	बारानी 1
	कुल किता 01	कुल रकबा 0.11 है.	

उक्त प्रार्थनापत्र में वाद वर्णित में वादी के पिता हरलाल उर्फ हरबक्ष पुत्र बालू व हरनाथ पुत्र नारायण के नाम आंवटित हुई थी। जिसमें वादी के पिता हरलाल उर्फ हरबक्ष का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी के पिता का दिनांरक 24.3.2003 को स्वर्गवास हो गया । वादी की माता का दिनांक 30.7.2011 को स्वर्गवास हो गया । वादी के अलावा वादी के पिता हरलाल उर्फ हरबक्ष का अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। वादी के पिता हरलाल उर्फ हरबक्ष व माता रामकुवरी के स्वर्गवास के प्श्चात वादी का 1/2 हिस्से अनुसार वाद वर्णित आराजीयात वादी के कब्जे काशत में चली आ रही है। वादी के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में हरलाल होने से वादी के नाम फोती के नामान्तकरण दर्ज हो गया परन्तु वाद वर्णित आराजयीात में वादी के पिता का नाम हरबक्ष होने से वादी का नाम फोती नामा.दर्ज नहीं हो सका जबकि हरबक्ष व हरलाल एक ही व्यक्ति है। वाद पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 29.7.2020 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. दुरूस्ती व फोती नामा. खोलेने मना किया । वादी द्वारा वाद प्रत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पिता का नाम हरबक्षपुत्र बालू का नाम विलोपित कर वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरलाल पुत्र बालू बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें व हरलाल पुत्र बालू का फोती नामान्तरकण वादी नाम बतौर वारिसान खुलवाये जाने का आदेश ... को प्रदान किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। जवाब तहसीलदार केकडी एंव ग्राम पचांयत जूनिया अनुसार उगमा पि. हरलाल कोम कीर सा. देह जूनिया खातेदारदर्ज है। परन्तु मुताबिक जमाबन्दी के आधार पर हरबक्ष पि. बालू के स्थान पर हरलाल पि.बालू कोम कीर सा.देह दर्ज किया जाना अपेक्षित बताया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **ग्राम जूनियां ग्राम पंचायत जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर** की जमाबन्दी संवत 2073–76 में खाता स 1489–1252 खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.11 है. में हरबक्ष पुत्र बालू के स्थान पर हरलाल पुत्र बालू का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिये जाते है। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेंगें।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 15.12.2021 को केम्प जूनियां मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:46:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner